BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025
BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक : 1015/BBAU/18 दिनांकः 09/8/18

परिपत्र

विषय: दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मे परीक्षा परिणाम भरे जाने के संदर्भ मे ।

समस्त विभागाध्यक्ष / कोर्स समन्वयकों को अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र / छात्राओं को उनके दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र मे विश्वविद्यालय द्वारा जारी **अंक तालिका के पिछले भाग पर दिये गए सूत्र के आधार पर ही अंकित / भरने हेतु निर्देशित किया जाए । (उदाहरण के तौर पर 7/10 6.5/10 8.3/10 इत्यादि)** । साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जो छात्र / छात्रा अपना परीक्षा परिणाम अंक तालिका से भिन्न दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन मे भरेंगे एवं यदि सत्यापन के समय उनके द्वारा अंकित अंक समाज कल्याण एवं विश्वविद्यालय के डाटा से मिलान करने पर उचित नही पाये गए तो संबन्धित छात्र / छात्राएं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित रह जाएंगे ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष / कोर्स समन्वयकों से अनुरोध है कि पात्र छात्र / छात्राओं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन अग्रसारित करने से पूर्व कृपया छात्रों के परिणाम / अंकों का सत्यापन अवश्य सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि भविष्य मे डाटा मिलान के विरोधाभास से बचा जा सके एवं अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया ।

1. समस्त संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्ष / कोर्स समन्वयक, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
2. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति महोदय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. निजी सचिव, कुलसचिव, महोदय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

नोडल अधिकारी
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)